पत्र संख्या–6/ब0गै0यो0–01–18/2015 गृ0आ0...../

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवामें,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक मार्च, 2016

विषयः– **राज्य के विभिन्न जिलों के पुलिस प्रतिष्ठानों में आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के मरम्मति कार्यों हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में कुल ₹ 56,67,800 (छप्पन लाख सड़सठ हजार आठ सौ रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्रांक–349/आधु0, दिनांक 31.03.2016 के आलोक में राज्य के विभिन्न जिलों के पुलिस प्रतिष्ठानों में कुल–5 आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के मरम्मति कार्य हेतु बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–1196, दिनांक 12.03.2016 द्वारा संलग्न प्राक्कलन में वित्त विभाग के अधिसूचना सं0–653/वि0, दिनांक 25.01.2016 में निहित प्रावधान के अनुसार Centage का दर 7% संशोधित कर कुल ₹ 56,67,800 (छप्पन लाख सड़सठ हजार आठ सौ रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इस कार्य हेतु कुल ₹ 56,67,800 (छप्पन लाख सड़सठ हजार आठ सौ रू0) मात्र विमुक्त की जाती है।

वित्त विभाग के अधिसूचना सं0–653/वि0, दिनांक 25.01.2016 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा रहा है।

2. उपर्युक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना की मांग संख्या–22, मुख्य शीर्ष 2055–पुलिस, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 051–निर्माण, उपशीर्ष 0001–बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा पुलिस भवनों की मरम्मति एवं रख–रखाव, विषय शीर्ष 27 02–अनुरक्षण एवं मरम्मत, विपत्र कोड N2055000510001 अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपर्युक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. उपर्युक्त राशि की निकासी कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पी0एल0 खाते में जमा किया जायेगा।

5. बिहार कोषांगार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधि पंजी का संधारण किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0:–6/ब0गै0यो0–01–18/2015गृ0आ0 2562 .....पटना, दिनांक 01 मार्च, 2016

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/अपर महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना /अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.3.16
सरकार के प्रधान सचिव